

प्रेस नोट
थाना-बड़ागाँव, जनपद-झाँसी

दिनांक 08.08.2026

- जनपद झाँसी पुलिस अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही,
- थाना बड़ागाँव पुलिस द्वारा 01 वारण्टी गिरफ्तार,
- गिरफ्तार वारण्टी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ एवं श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के मार्गदर्शन तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध, अपराधियों एवं अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में दिनांक 08.08.2026 को थाना बड़ागाँव पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय द्वारा जारी NBW केस नं0 44274/25 मु0अ0सं0 137/2025 धारा 13 जुआं अधिनियम से संबंधित अभियुक्त संतोष राजपूत पुत्र हरदास उम्र करीब 45 वर्ष निवासी जौरी बुजुर्ग, थाना-बड़ागाँव, जिला-झाँसी को उसके घर के बाहर से समय करीब 13:30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को सम्बन्धित माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

नाम पता वारण्टी:-

1. संतोष राजपूत पुत्र हरदास उम्र करीब 45 वर्ष निवासी जौरी बुजुर्ग, थाना-बड़ागाँव, जिला-झाँसी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक थाना बड़ागाँव श्री वेद प्रकाश पाण्डेय,
2. उ0नि0 श्री अनुज कुमार, थाना बड़ागाँव,
3. रि0का0 विनीत कुमार, थाना बड़ागाँव।